रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/आश्विन 8, 1936
No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

सं. 25024/9/2014-एफ.I.—भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग -I, खण्ड-1, में दिनांक 19 अगस्त, 2002 को प्रकाशित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 19 अगस्त, 2002 की अधिसूचना संख्या 26011/4/98–एफ.I में केन्द्रीय सरकार भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड (पी.आई.ओ. कार्ड) जारी करने संबंधी स्कीम, 2002 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस स्कीम को भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड (पी.आई.ओ. कार्ड) जारी करने संबंधी स्कीम, 2014 कहा जाएगा।

(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक को लागू होगी।

2. भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड (पी.आई.ओ. कार्ड) जारी करने संबंधी स्कीम, 2002 में,—

(क) पैराग्राफ 6, के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**6. पी.आई.ओ. कार्ड की वैधता**—किसी आवेदक को जारी किया गया पी.आई.ओ कार्ड इसे जारी किए जाने की दिनांक से लेकर उसके पूरे जीवनकाल तक वैध रहेगा बशर्ते की ऐसे आवेदक के पास वैध पासपोर्ट हो।

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त पैराग्राफ के प्रयोजन हेतु, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से पूर्व जारी किया गया पी.आई.ओ. कार्ड इसके धारक के जीवनकाल तक वैध समझा जाएगा, यह इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट है।"

(क) पैराग्राफ 9 में,—

(i) उप-पैराग्राफ (ii) में, दिए गए शब्द और आंकड़ों "किसी एकल दौरे पर यदि वह भारत में 180 दिनों से अधिक नहीं ठहरता है" का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-पैराग्राफ (iii) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-पैराग्राफ (iv) की क्रम संख्या बदलकर उप-पैराग्राफ (iii) किया जाएगा।

वीना कुमारी मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2014

No. 25024/9/2014-F.I.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number 26011/4/98-F.I dated the 19th August, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th August, 2002, the Central Government hereby makes the following amendments in the Scheme for issuance of Person of Indian Origin Card (PIO Card) Scheme, 2002, namely:—

1. (1) This scheme may be called the Scheme for issuance of Person of Indian Origin Card (PIO Card) Amendment Scheme, 2014.

(2) It shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Scheme for issuance of Person of Indian Origin Card (PIO Card) Scheme, 2002,—

(a) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely :—

"**6**. **Validity of PIO Card**: A PIO Card issued to an applicant shall be valid for his life time from the date of its issue provided that such applicant has a valid passport.

Explanation.—For the purpose of this paragraph, it is hereby clarified that a PIO Card which has been issued prior to the date of publication of this notification shall be deemed to be valid for life time of its holder subject to the condition that such person has a valid passport."

(b) In paragraph 9,—

(i) In sub-paragraph (ii), the words and figures " if his stay on any single visit in India does not exceed 180 days" shall be omitted;

(ii) sub-paragraph (iii) shall be omitted;

(iii) sub-paragraph (iv) shall be renumbered as sub-paragraph (iii).

VEENA KUMARI MEENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.